HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16658/2026
CNR: RJHC020977822026 | URN: CRLMB / 30748U / 2026

Bhim Singh Son Of Shri Sawai Singh, Aged About 26 Years, Resident Of Ranglal Ka Pura, Police Station Todabheem, District Karauli (Raj.) (At Present Confined In District Jail Karauli)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Singh Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/11/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **152/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 221, 132, 109(1) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अभियुक्त दिनांक 19.08.2026 से अभिरक्षा में है, आहत सुनील के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अभियुक्त को घटना में लिप्त होने से इनकार किया है, इस संबंध में मूल शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसे अभिलेख पर रखा गया। यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त की पत्नी की निकट भविष्य में डिलीवरी होने वाली है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, सह–अभियुक्तगण की

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
17:01:59 IST

जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, शेष विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह निवेदन किया कि अभियुक्त पूर्व में फरार रहा है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड व इस अपराध में विशिष्ट भूमिका को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

5. हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत पक्ष के साथ मारपीट की, अभियुक्त पर विशिष्ट रूप से फायर आर्म्स से चोट पहुंचाकर हत्या के प्रयास का आरोप है। चोट प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण से पूर्व आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट हुआ है, यद्यपि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि पांच मामलों में वह दोषमुक्त हो चुका है, परंतु इसके बावजूद अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड सुसंगत है, पूर्ववर्ती मामलों भी अधिकांशतः मारपीट व हत्या के प्रयास आदि से संबंधित हैं, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त फरार रहा है, बमुश्किल कालांतर में गिरफ्तार हुआ है। आहत सुनील का शपथ पत्र पेश कर यह बताने का प्रयास किया है कि अभियुक्त घटना में लिप्त नहीं था परंतु वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में भी अभियुक्त की भूमिका को आहत व अन्य गवाहान ने स्पष्ट किया है।

6. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए आहत का शपथ पत्र जिन परिस्थितियों में प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वह भी अपने आप में प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है। ऐसे गंभीर अपराध के मामलों में निष्पक्ष विचारण होना आवश्यक है, अभी तक आहत व महत्वपूर्ण गवाहान के बयान विचारण के दौरान लेखबद्ध नहीं हो पाए हैं।

7. अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक से यथासंभव 45 दिवस में आहत व प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के बयान लेखबद्ध करने का प्रयास करें। 45 दिवस पश्चात् अभियुक्त पक्ष की ओर से नवीन जमानत आवेदन पेश किया जाता है तो उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जायेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/43/DINESH KUMAWAT